21/6/25 पत्रावली पेश हो। वकील प्रार्थी उपस्थित। चूंकि प्रकरण का मूल वाद क्रमांक 91/2024 तामील के अभाव में खारिज हो चुका है। अतः अवमान प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई वाजिब औचित्य नहीं बनता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:50 IST
Reason: SelfAttested